भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1727
दिनांक 03 अगस्त, 2026

वाहन अनुकूलता संबंधी निष्कर्ष तथा ई20 मिश्रण लक्ष्यों का अनुपालन

1727 **श्री मल्लिकार्जुन खरगेः**

क्या ***पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 11 दिसंबर, 2025 को संसद में केंद्रीय परिवहन मंत्री द्वारा संदर्भित ई20 ईंधन पर चलने वाले वर्ष 2023 से पूर्व निर्मित वाहनों के संबंध में सरकार द्वारा किए गए परीक्षणों के निष्कर्ष क्या हैं;

(ख) 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य की तुलना में वर्तमान अखिल भारतीय औसत इथेनॉल मिश्रण प्रतिशत कितना प्राप्त किया गया है तथा विगत तीन वर्षों के दौरान इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम के लिए कितनी धनराशि आवंटित, संस्वीकृत, जारी एवं उपयोग की गई; और

(ग) क्या वाहन अनुकूलता से संबंधित लंबित जनहित याचिका (पीआईएल) में की गई मांग के अनुसार, खुदरा विक्रय केंद्रों पर एथेनॉल-मुक्त (ई०) पेट्रोल की उपलब्धता अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की गई है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम को एक चरणबद्ध, वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित और विचार-विमर्श वाली प्रक्रिया के माध्यम से कार्यान्वित किया गया है जिसमे नीति आयोग, ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनियाँ, तेल मार्केटिंग कंपनियाँ (ओएमसी), ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई), सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (एसआईएएम), भारतीय पेट्रोलियम संस्थान (आईआईपी) और दूसरे तकनीकी संस्थान शामिल हैं।

ई20 के वैज्ञानिक मूल्यांकन और चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित करने में ऑटोमोबाइल विनिर्माता, अवयव आपूर्तिकर्ता, एसआईएएम, एआरएआई, परीक्षण एजेंसियां और तेल विपणन कंपनियां शामिल थीं। ई20 को तभी लागू किया गया जब ईंधन प्रणाली, इंजन का टिकाऊपन, वाहन चलाने में आसानी, मटीरियल की अनुकूलता और उत्सर्जन कार्य-निष्पादन का सफल सत्यापन हो गया और ई20 के कारण प्रदर्शन में कोई विशेष बदलाव या असामान्य टूट-फूट नहीं होती।

ई15+ मिश्रित पेट्रोल का उपयोग साढ़े तीन वर्षों से अधिक से और ई19-ई20 ईंधन का उपयोग ढाई वर्षों से अधिक से हो रहा है। 20 करोड़ से अधिक दुपहिया और 3 करोड़ से अधिक पेट्रोल कारें इन मिश्रणों के साथ चल रही हैं जिनमे इथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन खराब होने या गाड़ी के खराब होने का कोई भी सत्यापित प्रमाण नहीं मिला है। विनिर्माता के सर्विस संबंधी आँकड़े से पुष्टि होती है कि ई20 ईंधन के कारण गाड़ियों में कोई असामान्य जंग, घिसाव या गाड़ी की उम्र कम होने जैसी समस्या नहीं होती है। विनिर्माता ई20 ईंधन का उपयोग करने वाली गाड़ियों के लिए गारंटी की शर्तें पूरी करते रहते हैं, जिससे इसकी सुरक्षा और भरोसेमंद होने पर और भरोसा बढ़ता है।

माइलेज के मामले में, सरकारी एजेंसियों और ऑटोमोबाइल विनिर्माताओं के अध्ययनों से संकेत मिलता है कि ईंधन दक्षता कई कारकों पर निर्भर करती है जिसमे ड्राइविंग की स्थिति, ड्राइविंग की

आदतें और गाड़ी का रखरखाव शामिल है। ई10 के लिए डिज़ाइन की गई कुछ गाड़ियों में ईंधन संबंधी अर्थव्यवस्था में सामान्य रुप से कमी लगभग 3-5% तक ही सीमित होती है, जबकि ई20 ज़्यादा ऑक्टेन रेटिंग, सर्वोतम एंटी-नॉक विशेषताएँ, स्वच्छ कंबशन और निर्विघ्न इंजन कार्य-निष्पादन देता है।

ई20 ईंधन E10 ईंधन की तुलना में बेहतर त्वरण, अधिक सुगम राइड गुणवत्ता और लगभग 30% कम कार्बन उत्सर्जन प्रदान करता है। इथेनॉल की अधिक मात्रा वाला मिश्रण अधिक स्वच्छ और पूर्ण दहन में भी सहायता करता है, जिसके परिणामस्वरूप पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन लगभग शून्य हो जाता है और शहरी क्षेत्रों की वायु गुणवत्ता में सुधार होता है।

एक अग्रणी ओईएम ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 2.84 करोड़ वाहनों की सर्विसिंग की, जिसमें लगभग 1.5 करोड़ वाहन शामिल हैं जो मूल रूप से ई20-संगत के रूप में प्रमाणित नहीं थे, और कोई भी ई20-लिंक्ड संक्षारण, प्रतिकूल घिसाव या कॉमपोनेन्ट उपयोग काल में कमी की सूचना प्राप्त नहीं हुई थी। एक अग्रणी 2-पहिया कंपनी ने इसी तरह के क्षेत्र अनुभव की सूचना दी है। हाल ही में एक ओईएम ने बताया कि विस्तारित अवधि में भी ट्रैक करने पर 1.4 करोड़ ई20-प्रचालित वाहनों के डेटा से इथेनॉल-प्रेरित संक्षारण का कोई प्रमाण नहीं मिला। एआरएआई ने फिर से पुष्टि की कि वाहन उपभोक्ताओं तक पहुंचने से पहले कड़े अंतरराष्ट्रीय-मानक सत्यापन से होकर गुजरते हैं।

(ख): भारत ने दो दशकों से अधिक समय तक चरणबद्ध नीति विकास, हितधारक परामर्श, वैज्ञानिक मूल्यांकन और क्षमता निर्माण के बाद मूल लक्ष्य से पांच साल पहले 20 प्रतिशत इथेनॉल सम्मिश्रण हासिल कर लिया है। इस रोलआउट से पहले इथेनॉल उत्पादन क्षमता, खुदरा बुनियादी ढांचे की तैयारी, ईंधन गुणवत्ता मानकों और वाहन संगतता आकलन में प्रगतिशील वृद्धि हुई थी, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि परिवर्तन धीरे-धीरे, सुरक्षित और वैज्ञानिक रूप से मान्य रहे। ईएसवाई 2025-26 के दौरान, 30.06.2026 तक, 743 करोड़ लीटर से अधिक इथेनॉल मिश्रित किया गया है, जिससे पेट्रोल में 20% का औसत इथेनॉल मिश्रण बना हुआ है।

ईबीपी कार्यक्रम को सरकार से बजटीय सहायता के माध्यम से वित्त पोषित नहीं किया जाता है। इस कार्यक्रम के तहत ओएमसीज़ सार्वजनिक क्षेत्र की ओएमसीज़ के साथ पंजीकृत इथेनॉल आपूर्तिकर्ताओं से इथेनॉल की अधिप्राप्ति करती हैं। तदनुसार, ईबीपी कार्यक्रम के लिए सरकार के बजट से कोई धनराशि आवंटित/स्वीकृत/जारी या उपयोग नहीं की गई है। हालांकि, सरकार ने लिग्नोसेल्यूलोसिक बायोमास और अन्य नवीकरणीय फीडस्टॉक का उपयोग करके देश में उन्नत जैव ईंधन परियोजनाओं की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु "प्रधान मंत्री जी-वन (जैव ईंधन - वातवरण - अनुकूल फसल आवेश),2019 जिसे 2024 में संशोधित किया गया,को अधिसूचित किया है। इस योजना का परिव्यय 1969.5 करोड़ रुपये है।

(ग) इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम को कार्यान्वित करने की सरकारी नीति के तहत, तेल विपणन कंपनियों को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 20% तक इथेनॉल मिश्रित मोटर स्पिरिट (पेट्रोल) आपूर्ति करने का निर्देश दिया गया है, जो संबंधित भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के नियमों के अनुसार हो।इसके अलावा, 1 अप्रैल, 2026 से 95 की न्यूनतम रिसर्च ऑक्टेन संख्या (आरओएन) के साथ इथेनॉल मिश्रित मोटर स्पिरिट को प्रासंगिक सांविधिक प्रावधानों के तहत अधिसूचित किया गया है।
